कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9033/2020 पायल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में वरीयता क्रमांक 378 पर चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित बीकानेर मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना, मुण्डवा, जिला–नागौर में पदस्थापित किया गया जबकि उससे निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को बीकानेर मण्डल आवंटित किया गया। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अजमेर मण्डल के स्थान पर बीकानेर मण्डल आवंटित कर बीकानेर जिले में राउमावि खारवाली (211528) खाजूवाला/रोजड़ी (212104), घडसाना आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में याचिकार्थिया का आयोग द्वारा वरीयता क्रमांक 378 वर्ग एवं चयन वर्ग GENF पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार तृतीय प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम व द्वितीय प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित बीकानेर एवं चूरू मण्डल में याचिकार्थिया के वर्ग एवं चयन वर्ग GENF में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः 366 व 06 है, जबकि याचिकार्थिया का वरीयता क्रमांक 378 है। अतः वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय विज्ञान में याचिकार्थिया के वर्ग एवं चयन वर्ग GENF में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम व द्वितीय प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित बीकानेर एवं चूरू मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नही की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थिया द्वारा अजमेर मण्डल के स्थान पर बीकानेर मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा. / संस्था / एफ–2 / को.के. / जोध / 13001 / 2020 दिनांकः– 16.03.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. याचिकार्थिया पायल पुत्री श्री कमल गर्ग, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना, मुण्डवा, जिला–नागौर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)